फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(5)

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम ---------- चोहटन ---------- व

इजलास ---------- जगदीश आर्य R.A.S ----------

उनवान

काडू पुत्र चन्ना
जाति मीणा निवासी
हरवा तहसील
चोहटन

बनाम

(1) परमा पुत्र चन्ना
जाति जोगी निवासी
महरवा तहसील चोहटन
तहसील दार चोहटन
(2)

बाबत घोषणा खातेदारी
एकारका स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 88 सन् 12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई ---------- रामभरोसी मुख्तार एडवोकेट ---------- व हाजिरी

---------- मिनकानिब गुर्दई रूबरू ---------- हमारे

ब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

श्रवा वादी खिलाफ प्रतिवादी फाईनल डिक्री किया जाता है वादी काडू डा० चन्ना जाति जोगी की ग्राम महरवा की भूमी ख० नं० 2475 रकबा 0.14 है० 2476 रकबा 0.07 है० 2746 रकबा 0.07 है० 2750 रकबा 0.13 है० का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। कि वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मुदाखलत नहीं करे।

---------- मुबलिग ---------- बाबत ---------- खर्चा इस मुकदमे के मय

---------- फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

ह ---------- का अदा करें।

मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 6 सन् 15

दस्तखत उप जिला कलक्टर (करौली)

ओहदा

जारी की गई।

मुहर

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
			स्टाम्प अर्जी		
वकालत नामा			महन्ताना वकील		
वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
वकील			फीस कमिशनर		
गवाहान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
कमिशनर			मुतफरिक		
इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए ।

Scanned by CamScanner